रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215160
CG-DL-E-06012020-215160

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2020/पौष 11, 1941
No. 01] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/ PAUSHA 11, 1941

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय]

(राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2020

सा.का.नि 01.(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा समूह 'ग' के पदो के भर्ती नियम 2016 के लिए वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय के अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए जहॉ तक उसका संबंध सुरक्षा सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय मेँ सुरक्षा सहायक के पद पर भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :

   (1) इन नियमों को वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, सुरक्षा सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 कहा जा सकता है ।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल** –उक्त पदों की संख्यां, उनका वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में पे लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**–कोई भी व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह में शामिल दूसरे पक्षकार पर लागू निजी कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**–जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो यह आदेश द्वारा तथा उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध मे शिथिल कर सकती है ।

6. **व्यावृति**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणं, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो, भूतपूर्व सैनिको और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में लेवल**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सुरक्षा सहायक	*01 (2020) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रू 29200–92300) में लेवल 5	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1**– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम	**अनिवार्य :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (ii) किसी संग्रहालय अथवा समरूप संस्थान में सुरक्षा व्यवस्था में 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछित :** सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त गैर कमीशन्ड

					तारीख होगी। (ना कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2**: कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है अथवा वह अंतिम तारीख जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	अधिकारी अथवा कनिष्ठ कमीशन्ड़ अधिकारी । **टिप्पणी 1** :— अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पणी 2** :— अनुभव संबंधी अर्हता, कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले तथा	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति** :विभागीय फीडर पद के ऐसे सुरक्षा हवलदार जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल—2 (रु0 19900—63200) में

	सेवानिवृति की आयु के पूर्व पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(लघु कालिक अनुबंध सहित) अथवा सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति /पुनर्नियोजन या दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात संबंधित श्रेणी में 13 वर्षो की नियमित सेवा पूरी कर ली है । **टिप्पणी** : जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई अर्हक अथवा पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक अथवा पात्र सेवा के आधे से अधिक अथवा 2 वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नही है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्र सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है । **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायतशासी अथवा वैधानिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान अथवा विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i). जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (i i). जो वेतन मैट्रिक्स में लेवल–4, (रुपये 25,500–81,100) के पद में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करते हैं तथा (ख) स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखते हैं । प्रतिनियुक्ति/पुर्ननियोजन : सशस्त्र बल के वैसे कर्मचारी जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं अथवा जिनका स्थानान्तरण होने वाला है तथा जो अपेक्षित अनुभव एवं योग्यता रखते हैं के नाम पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जायेगा जिस तिथि को वे सशस्त्र बल से सेवा मुक्त होने वाले हैः उसके पश्चात पुनर्नियोजन पर उनकी सेवा जारी रखी जा सकती है। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी । **टिप्पण 2**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नही होगें । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नही होगें ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय)— अध्यक्ष ; 2. अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) —सदस्य 3. उप निदेशक, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय —सदस्य । समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (स्थाई करने के संबध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय)— अध्यक्ष ; 2. अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) —सदस्य; 3. उप निदेशक, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय —सदस्य ।	लागू नही होता

[फा. सं. 02/20/2018—रा. ह. ह. सं.]

शांतमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

(National Handicrafts and Handlooms Museum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 01st January, 2020

GSR. 01 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handlooms), National Handicrafts and Handlooms Museum notification for Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016 in so far as it relates to the post of Security Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Security Assistant** in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, namely :-

1. **Short title and commencement .—**(i) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Security Assistant Group 'C' Post Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix. –** The number of said post, their classification and the pay level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No persons, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Security Assistant	01* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Non-ministerial	Level – 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)	Non-selection	Between 18 and 27 years. (The upper age limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Himachal Pradesh, Union territory of Ladak, Union territory of Jammu and Kashmir, Union territory of Andaman	**Essential:** (i) Bachelor's Degree from a recognized University; (ii) Practical experience in security arrangement for two years preferably in a museum or similar institution. **Desirable:** Retired Non-commissioned officer or Junior commissioned officer from the Armed Forces. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**:The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection

					and Nicobar, Islands or union territory of Lakshadweep. **Note 2**: In the case of recruitment through the Staff Selection Commission or Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or the last date upto which Employment Exchange is asked to submit the names.	Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , if at any stage of selection, the Staff Selection Commission / Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by DR or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruitment and re-employed before age of superannuation	By Promotion failing which by Deputation (including short term contract) or Deputation/re-employment of Armed Force personnel, failing which by direct recruitment	**Promotion:** Departmental Feeder post of Security Man of level-2 (Rs. 19,900 – 63,200 /-) in the pay matrix with thirteen years of regular service in the grade rendered after appointment. **Note.** - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i)Senior Director (Museum)-Chairman; (ii) Additional Development Commissioner (Handicrafts) – Member; (iii) Deputy Director of NHHM – Member Group'C' Departmental Confirmation	Not applicable

			years. Whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State government or Union territories or /Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research Institution :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in post of level-4 (Rs. 25,500 – 81,100 /-) in the pay matrix and (b) possessing education qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i)Senior Director (Museum)-Chairman; (ii) Additional Development Commissioner (Handicrafts) – Member; (iii) Deputy Director of NHHM – Member	
			Deputation/Re-employment The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date of which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1. -** The period of deputation including the		

			period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Departments of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2.** - The official in feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. 02/20/2018-NHHM]

SHANTAMANU, Development Commissioner (Handicraft)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.06 13:07:28 +05'30'